न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 08/2020 दिनांक–06–01–2020

मांगीलाल उर्फ मांगू पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी ग्राम टोंकढाका की ढाणी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)

– वादी

बनाम

राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ

–प्रतिवादी

वकील वादी : – श्री विप्लव पंडित
वकील प्रति. :– राज. पैरोकार

दावा घोषणार्थ
:: निर्णय ::

दिनांक 14.02.2020

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम टोंकछीलरी की सरहद में नई खाता संख्या 52 की भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 3.77 हैक्टर स्थित है जो वादी की अनन्य खातेदारी काश्तकारी की भूमि है जिस संबंध में वादी उक्त वाद बाबत घोषणार्थ का वाद पेश किया गया। वर्णित भूमि वादी की खातदेरी काश्तकारी की भूमि है जिस पर वादी भौतिक रूप से काबिज है परन्तु उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सहवन से मांगीलाल के स्थान पर मांगू दर्ज हो गया वादी को घर पर सामान्य बोलचाल में मांगू नाम से पुकारते थे इसलिए राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से मांगीलला के स्थान पर मांगू दर्ज कर दिया जबकि वादी का वास्तविक व सही नाम मागीलाल है वादी के आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि दस्तावेजात में मांगीलला ही नाम दर्ज है।वादी राजस्व ग्राम टोंक ढाका की ढाणी में खाता संख्या 49 की भूमि खसरा नम्बर 1299/159 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 155 रकबा 0.94 हैक्टर स्थित है, उसमें भी वादी का नाम मांगीलाल ही दर्ज है। इसलिए वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में मांगू पुत्र हनुमान के स्थान पर मांगीलाल पुत्र हनुमार दुरुस्त किया जावे और इस आशय की घोषणा जावे। वादी ने उक्त दुरूस्ती हेतु दिनांक 16.12.2019 को प्रतिवादी के यहां दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी ने दुरूस्ती हेतु इन्कार कर दिया तथा कथन किया कि कइस हेतु श्रीमान के न्यायालय से आदेश लेकर आवो तभी दुरूस्ती कर सकते है। इसलिए उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ। उक्त वाद के लिए वादकारण दिनांक 16.12.2009 के प्रतिवादी के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रतिवादी द्वारा इन्कार करने तथा श्रीमान न्यायालय के आदेश लाने पर दुरूस्ती

Scanned by CamScanner

हेतु कथन करने के रोज अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार में पैदा हुआ वैसे घोषणार्थ कि वाद के लिए वादाधिकार हमेशा ही पैदा रहता है।

वादी द्वारा वाद पत्र पेश कर अनुतोष चाहा कि वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम टोंक ढाका की ढाणी पटवार हल्का टोंक छीलरी की सरहद में स्थित नया खाता संख्या 52 की भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 3.77 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मांगू के स्थान पर मांगीलाल दुरूस्त किया जावे इस आशय की घोषणा की जावे। दुरूस्ती हेतु प्रतिवादी तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी कि जावे।

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत होने बाद अवलोकन दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी राजपैरोकार ने जवाब दावा पेश कर वर्णित किया कि ग्राम टोंकछीलरी में खाता संख्या 52 भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 3.77 हैक्टर खातेदर का नाम मांगू पुत्र हनुमान जाति जाट दर्ज रिकार्ड है। अन्य खाता संख्या 49 में खातेदार का नाम मांगीलाल पुत्र हनुमान जाति जाट दर्ज रिकार्ड है, अन्य दस्तावेज राशनकार्ड एवं पैनकार्ड में भी मांगीलाल नाम ही दर्ज है। राज. पैरोकार ने वादी का नाम मांगू की बजाया मांगीलाल नाम दुरूस्त किया जाने की उचित वर्णित किया गया है।

बहस वकील सुनी गई। तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड अवलोकन किया गया। तथा राज पैरोकार तहसीलदार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर प्रार्थी का नाम दुरूस्त करने की सहमति प्रदान की गई है। प्रार्थी के दस्तावेजात जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड सभी में मांगीलाल पुत्र हनुमान दर्ज हैं। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार व संलग्न दस्तावेज अनुसार वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम टोंक ढाका की ढाणी पटवार हल्का टोंक छीलरी की सरहद में स्थित नया खाता संख्या 52 की भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 3.77 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मांगू के स्थान पर मांगीलाल दुरूस्त किया जाने के आदेश दिया जाता है। तथा तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारीलाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

Scanned by CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास तोगडाकला
मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा घोषणार्थ

मुकदमा सं0:– 08 / 2020 (मांगीलाल उर्फ मांगू बनाम तहसीलदार नवलगढ)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा (आर. ए. एस.),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक **14.02.2020** निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम टोंक ढाका की ढाणी पटवार हल्का टोंक छीलरी की सरहद में स्थित नया खाता संख्या 52 की भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 3.77 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मांगू के स्थान पर मांगीलाल दुरूस्त किया जाने के आदेश दिया जाता है। तथा तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

जिन..........–........... मुबलिग..........–..........बाबत.....–..........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह. ....–.......फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....–.........का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 14 माह 02 सन 2020 को जारी की गई।

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
मोहर

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	2.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	05.00		0.00

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.02.20 16:38:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: